

जिंदगी में जिसने
समय को मान
लिया, उसने
अपने आप को
जान लिया!

BNS - 244, किसी दूसरे की संपत्ति प्राप्त करने के मिथ्या दावा करना कब दण्डनीय अपराध होता है जानिए

जब कोई सिविल न्यायालय या कोई अधिकारी यह आदेश कर देता है की संपत्ति किसी विधिक पक्षकार की है एवं कानूनी तौर पर उसे ही मिलना चाहिए या मिल गई है, इस बात को जानते हुए भी कोई विरोधी पक्षकार या अन्य व्यक्ति जबरदस्ती या जानबूझकर कर उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मिथ्या दावा न्यायालय में या अधिकारी के समक्ष करता है। तब वह व्यक्ति को कानून क्या सजा देगा जानिए-



युवा प्रदेश समाचार पत्र
- लेखक बी.आर. अहिरवार (एडवोकेट एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 244 की परिभाषा- जो कोई व्यक्ति यह जानते हुए की किसी संपत्ति में उसका कोई हित नहीं है या वह संपत्ति किसी दूसरे के अधिकार की है एवं जानते हुए फिर भी कपटपूर्वक उसे प्राप्त करने के लिए झूठा दावा करेगा या मिथ्या वाद सिविल कोर्ट में दर्ज करेगा तब वह व्यक्ति BNS की धारा 244 के अंतर्गत दोषी होगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 Section 243 Provision of punishment
यह अपराध संसर्ज्य एवं यह जमानतीय अपराध होते हैं, अर्थात् पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है लेकिन पुलिस अधिकारी NCR लिख सकती है, इस अपराध के लिए

न्यायालय में परिवार लगाया जा सकता है। एवं सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है।

सजा- इस अपराध के लिए अपराधी व्यक्ति को दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

क्या है दोहरे दण्ड से संरक्षण का मौलिक अधिकार, शासकीय सेवकों के लिए

खास- Fundamental rights in India

भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है एवं सभी को समान विधि के अनुसार न्याय मिले सके, इसलिए संविधान में नागरिकों को बहुत से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कुछ विधियां मौलिक विधि होती है और कुछ विधियां कानूनी होती हैं। मौलिक विधि, वह विधि होती है जिसे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त होता है एवं कानूनी विधि वह विधि होती है जो राज्य सरकार के बनाई जाती है एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संरक्षण दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं आरोपी व्यक्ति को दोहरे दण्ड से कब संरक्षण प्राप्त होता है जानिए।

भारतीय संविधान अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 20(2) की परिभाषा: किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दण्डित नहीं किया जाएगा। साधारण शब्दों में कहे तो किसी पुलिस अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में विभागीय अधिकारी द्वारा दण्डित किया गया है एवं उसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्ड संहिता की धारा के अंतर्गत दण्डित किया गया है तब ऐसा अधिकारी दोहरे दण्ड का संरक्षण लेने का अधिकार रखता है एवं न्यायालय द्वारा मौलिक विधि के अंतर्गत ही दण्ड मान्य होगा न की कानूनी विधि के अंतर्गत।

दोहरे दण्ड से संरक्षण के अधिकार लिए तीन शर्तों का होना आवश्यक है-

1. व्यक्ति का आरोपी होना आवश्यक है।
2. कार्यवाही या विचारण किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष हुई हो।
3. आपराधिक मामला किसी विधि अपराध के संबंध में हो एवं जिसमें दण्ड का प्रावधान भी हो।

- लेखक - बी.आर. अहिरवार

(पत्रकार एवं एडवोकेट होशंगाबाद) 9827737665

प्रतियोगिता में भाग लेने से मिलता है नया जोश और मनोबल : राज्यपाल श्री पटेल

राज्यपाल श्री पटेल केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अखिल भारतीय स्पर्धा के शुभारम्भ कार्यक्रम में शामिल हुए

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रतियोगिता में भाग लेने से नया जोश और मनोबल तो मिलता ही है, साथ ही अपने और दूसरों के प्रदर्शन के अनुभव से कौशल का नया स्तर प्राप्त होता है। प्रतियोगिता में ज्ञान और कौशल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हार-जीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी संस्कृति, सुसंस्कृत जीवनशैली की गरिमा और गौरव का सम्मान है। राज्यपाल श्री पटेल आज केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में आयोजित अखिल भारतीय स्पर्धा, सांस्कृतिक, शैक्षिक स्पर्धा, युवा महोत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विशिष्ट ग्रंथों, सर्वसमावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में महर्षि दयानन्द सरस्वती- और भारतीय ज्ञान परम्परा शिक्षक शिक्षा- का लोकार्पण किया। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक



विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, युव संसद जयपुर के संस्थापक श्री आशुतोष जोशी मंचासीन थे। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि आधुनिक मानव जीवन से जुड़े क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी जीवन आदि कई विषयों में संस्कृत ज्ञान निधि की प्रासंगिकता आज बढ़ रही है। दुनिया

में संस्कृत भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे प्रमुख जूरिया है। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिसमें संस्कृत के ज्ञान को आधुनिक और शोध परक दृष्टि से देखा जाए और ज्ञान के नए स्वरूप को प्रकाशित किए जाए। समय की आवश्यकता है कि हमारे पास ऐसे युवा हो, जिनमें संस्कृत के साथ कम्प्यूटर कोडिंग की तकनीक और अनुसंधान का

सामर्थ्य हो। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत निर्माण प्रयासों के लिए जड़ों से जुड़े वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम युवाओं का निर्माण समय की जरूरत है। विश्वविद्यालय को संस्कृत भाषा की भारतीय ज्ञान परम्परा को भविष्य की दृष्टि से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ समन्वय से भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने की जिम्मेदारी लेना होगी।

विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों को संस्कृत के अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान खोजने के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों के समग्र, सर्वांगीण विकास में ऐसे शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल स्पर्धाओं के आयोजन अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारतीय ज्ञान परम्परा के संरक्षण एवं संवर्धन में अग्रणी भूमिका निभाने और अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की सराहना की है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुंबई में इंडिया केम - 2024 को करेंगे संबोधित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 18 अक्टूबर को मुंबई में इंडिया केम- 2024 में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन की थीम एडवांटेज भारत- इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स पेविंग द फ्यूचर है। इस अवसर पर 13वां द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा सहित केन्द्र सरकार और अनेक राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुंबई में 17-19 अक्टूबर 2024 तक हो रहे सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के अलावा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रीया पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र रजनीकांत पटेल, ओडिशा के उद्योग राज्य मंत्री श्री संपद चंद्र स्वैन, सचिव रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा, अध्यक्ष फिक्की और सीएमडी दीपक नाइटाइट लिमिटेड श्री दीपक मेहता, कार्यकारी निदेशक रिलायंस लिमिटेड श्री निखिल मेसवानी, एवोनिक इंडस्ट्रीज के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य और एशिया प्रशांत के अध्यक्ष डॉ. क्लॉस रेटिंग, अध्यक्ष फिक्की राष्ट्रीय पेट्रोकेमिकल्स समिति और एमडी और सीईओ, एचएमईएल मिटल एनर्जी लिमिटेड श्री प्रभा दास हिस्सा लेंगे।



भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4-लेन में अपग्रेड करने 3589.4 करोड़ की मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा मध्यप्रदेश को विकास पथ की अमूल सौगात देने पर उनका आभार माना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सरकार बढ़ती रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास का नया अध्याय लिख रही है। भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 4-लेन में अपग्रेडेशन से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी, यातायात सुगमता के साथ ही सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश को मिली इस सौगात के लिये प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्री का आभार माना है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा मध्यप्रदेश में भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4-लेन में अपग्रेड करने के लिए भोपाल से विदिशा, विदिशा से ग्यारसपुर, सताईघाट से चौका और चौका से कैमाहा पैकेजों के लिए 3589.4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस अपग्रेडेशन से क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और यात्रा के समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ मंडला-नैनपुर मार्ग के लिए भी 592 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

(Bns) भारतीय न्याय संहिता 2023 में महिलाओं के अधिकारों को प्रमुख महत्व दिया गया है। यह संहिता (ips) भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी और इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए कई नए विशेष कानून शामिल किए गए हैं (12)

महिलाओं के अधिकारों से संबंधित विशेष अधिकार जो भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं जो महिलाओं को विशेष संरक्षण प्रदान करती है

- 1 **शादी का झूठा वादा-** यदि कोई व्यक्ति शादी का झूठा वादा करके महिला से शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों ही सकता है।
- 2 **यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर शादी-** करता है, तो उसे भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
- 3 **रेप के मामले-** रेप के मामलों में सजा को और कठोर बनाया गया है। यदि अपराधी पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, सशस्त्र बलों का सदस्य, या महिला का रिश्तेदार है, तो सजा और भी कठोर हो जाती है।
- 4 **महिला गरिमा और शालीनता-** महिलाओं की गरिमा और शालीनता की रक्षा के लिए विशेष कानून दिए गए हैं। किसी भी महिला का परीक्षण दूसरी महिला द्वारा या उसकी निगरानी में ही किया जाना चाहिए यह नए प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने पर अब क्या होगा सजा जानिए (bns)सेक्शन 69

देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन नए कानूनों का मसौदा पेश करते हुए कहा था कि भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए खास कदम उठाए गए हैं।

IPC vs BNS
शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने को अब सेक्शन 69 bns में देखा जाएगा अदालतों के सामने 'शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने' के मामले आते रहे हैं। इस तरह के केस में लड़का और लड़की रिलेशनशिप में होते हैं, इस दौरान उनके (physical relationship) बन जाता है। बाद में जब दोनों का किसी वजह से संबंध टूट जाता है, तब लड़की द्वारा कोर्ट में 'शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने' का केस जाता है। आईपीसी ipcमें यह अपराध इस रूप में व्यक्त किया गया



था लड़के ने सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी का झूठा वादा किया तो उसे सेक्शन 375 या सेक्शन 90 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता था। गौरतलब है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) में धारा 375 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है और उसके लिए सजा निर्धारित करती है। धारा 375 के तहत बलात्कार का दोषी पाए जाने पर दो से पांच वर्ष की कैद या आजीवन कारावास की दी जा सकती है, जो कि अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। वहीं सेक्शन 90 में धोखाधड़ी से सहमति लेने के अपराध को परिभाषित किया गया है। लेकिन अब इस तरह के अपराध को

भारतीय न्याय संहिता bns में 69 में देखा जाएगा **BNS**
भारतीय न्याय संहिता bns 2023 के सेक्शन 69 में प्रमुख रूप से 'शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने' के अपराध को deal किया गया है।

- 1.सेक्शन 69 के तहत अगर किसी महिला के साथ शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाया 2,नौकरी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाया 3.प्रमोशन का लालच देकर या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाया जाता है, तो उसे अपराध माना जाएगा।
- यदि (bns 69)सेक्शन के तहत अगर दोष साबित होता है तो 10 साल तक की कैद और जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। राजद्रोह कानून खत्म हुआ या नए रूप में और मजबूत होकर आया है? जानिए क्या कहता है प्रस्तावित कानून
- CJI चंद्रचूड़ का वह फैसला प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि यह जरूरी तो नहीं कि लड़का या लड़की हर बार जब शारीरिक संबंध बनाते हुए यह ध्यान रखते हो कि उनकी एक दूसरे से शादी होने वाली है। यौन संबंध के पीछे रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर कई उच्च न्यायालयों ने ऐसे मामलों में लड़कों को बलात्कारी मानने से इनकार कर दिया। इसी साल उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा था कि शादी के बहाने शारीरिक संबंध बनाने को rape से जोड़ना गलत है।

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों में साइबर क्राइम की एक समस्या भी एक बड़ी समस्या बन गई है की साइबर क्राइम की समस्या से निपटने और महिलाओं के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इन विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है:-

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal):

[वेबसाइट: cybercrime.gov.in]

यह एक भारत सरकार द्वारा स्थापित पोर्टल है जहाँ कोई भी साइबर अपराध, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों, की शिकायत दर्ज और उसकी जांच कर सकता है।

यह पोर्टल 24x7 उपलब्ध है और शिकायत दर्ज कराते समय पहचान को गुप्त भी रखा जा सकता है। तथा पहचान को सार्वजनिक भी किया जा सकता है यह condition पर

निर्धारित करता है, कंसेंट की पहचान सार्वजनिक करनी है या गुप्त करनी है।

नजदीकी स्थानीय थाना में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं स्थानीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन- भारत के हर राज्य और जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होते हैं। महिलाओं को इन पुलिस स्टेशनों में जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करने के यह सबूत होना अनिवार्य है (के सबूत जैसे ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया प्रोफाइल आदि) के साथ जाना चाहिए।


राष्ट्रीय महिला आयोग- NCW द्वारा भी महिलाओं के

प्रति होने वाले साइबर क्राइम के अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करता है तथा महिलाओं की इसमें मदद करता है महिलाओं के प्रति खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों को भी देखता है और महिलाओं की मदद करता है। आप NCW को अपनी शिकायत ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं।

(1091 महिला हेल्पलाइन)

आप 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके साइबर अपराध के बारे में जानकारी दे सकती हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं।

स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकती हैं- किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करा सकती हैं। पुलिस आपकी शिकायत को संबंधित साइबर क्राइम सेल को भेजेगी। तथा आपकी शिकायत पर उचित कार्रवाई की जा सके तथा पुलिस व साइबर क्राइम को आपकी कंसेंट के आधार पर उचित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए जा सके शिकायत दर्ज करते समय यह ध्यान रखें की जितनी जल्दी हो सके महिला अपने प्रति होने वाले साइबर क्राइम के अपराधों की कंसेंट जल्द से जल्द दर्ज करवा सके ताकि अपराधी जल्द पकड़ा जा सके तथा आपके सबूत नष्ट ना हो सके, ताकि अपराधी को सख्त सजा मिल सके।



चलो चलें दिक्षा भूमि नागपुर
मानवता जहां मिलता भरपूर ।
समता ,प्रेम , बंधुता का संगम
उंचनीच का नही कोई दस्तूर ।
-हरीश पांडल
विचार क्रांति

सरकार की दोहरी शिक्षा नीति गरीब वर्ग के लोगों के खिलाफ : जियालाल प्रदेश प्रभारी

मूलचन्द्र मेधोनिया पत्रकार
भोपाल

भोपाल। चैत बुद्ध विहार भैया साहब, सैकंड स्टाफ, पंचशील नगर भोपाल में एक शाम बाबा साहब के नाम का आगाज बुद्ध वंदना के साथ सम्पन्न हुआ। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी मध्यप्रदेश के प्रदेश प्रभारी श्री जियालाल जी की उपस्थिति में केडर केम्प के दौरान उन्होंने बताया कि आज भोपाल राजधानी जैसे शहर में एक महिने में तीन बच्चियों के साथ दुष्कर्म होना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्ची कन्या स्वरूप का ढोंग किया जाता है। वही तीन साल की बच्ची के साथ निंदनीय कृत्य होने शासन, प्रशासन पर साबालिया प्रश्न खड़ा होता है। श्री जियालाल जी ने सरकारी शिक्षा नीति और उनकी मंशा सहित सरकार की शिक्षा के नीति को विस्तार से बताते हुए कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर जी ने कानून बनाते समय बिना भेदभाव किये सभी को सामान्य शिक्षा नीति का नियम लागू किया था। जिसके माध्यम से गरीब से लेकर सेठ साहूकार या नौकरी पेशा वालों के बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा लेकर सामान्य रूप से पढ़ें। लेकिन सरकार की मंशा गरीब बच्चों को बेरोजगार, बनाने की है। जिसके तहत स्कूलों में माध्यम भोजन, साइकिल वितरण, शाला गणवेश देकर इसी में गरीबों के बच्चों को उलझाने की है। तथा बताया है कि गरीबों के बच्चों के पर्याप्त पढ़ाने हेतु शिक्षकों का आज भी अभाव है। कक्षा पहली से आठवीं तक के गरीब बच्चों को बिना परीक्षा के पास करके उनका भविष्य चौपट किया जा रहा है। वही अमीर लोगों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों के संचालन कर उन्हें ठीक



अमर शहीद वीर मनीराम जी के समान में
अनुसूचित जाति वर्ग है मैदान में।
जय संविधान।
जय मनीराम।।

हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
वीर मनीराम जी को सरकार
सम्मानित करें : बृजेश आर्य




से शिक्षा देकर गरीबों का आहित किया जा रहा है। पूरे देश में बड़े महंगी फीस के स्कूलों की मान्यता देकर गरीबों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप आज बेरोजगारी चरम पर है। अतः सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ नागरिकों को आवाज उठानी चाहिए। तथा सभी नागरिकों को बराबरी के साथ सरकारी मुफ्त शिक्षा दी जाये जहाँ विधायक, सांसद, इंजीनियर, डॉ.

आईएसएस, आईपीएस सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा बराबरी की होकर सभी का भला होगा। बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने के लिए सामाजिक केडर लगाये जाते हैं। जिसमें नर्मदापुरम जिले के पूर्व बसपा जिला अध्यक्ष श्री बृजेश आर्य ने भी बहुजन समाज में जन्म संतो, गुरुओं, महान क्रांतिकारी के रास्ते पर चलने हेतु

लोगों से अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि आज तक की जो भी सरकारें रही हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के महापुरुषों को दबाने, छुपाने का काम किया है। ऐसा ही श्री आर्य ने उदाहरण देते हुए बताया है कि बहुजन समाज में जन्मे मध्यप्रदेश के महान क्रांतिकारी एवं देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से अपनी जान की बाजी लगाने वाले अमर शहीद वीर मनीराम अहिरवार जी जिला नरसिंहपुर तहसील गाडरवारा के नगर चीचली के थे। जिन्होंने गोंडवाना राजा के राजमहल की सुरक्षा करते हुए गांव से खदेड़ कर विजय श्री प्राप्त की थी। ऐसे हमारे वर्ग के महापुरुष को आज तक राष्ट्रीय शहीद का दर्जा नहीं दिया। ऐसे कांग्रेस व बीजेपी की मानसिकता है। संगोष्ठी में अमर शहीद वीर मनीराम अहिरवार जी के सुपौत्र मूलचन्द्र मेधोनिया वरिष्ठ पत्रकार ने भी अपने वक्तव्य देते हुए अपना परिचय दिया कि मैं मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के एकमात्र शहीद वीर मनीराम अहिरवार जी का पौता हूँ।

मेरे दादा जी ने सन 1942 में अंग्रेजी सेना से युद्ध किया और अंग्रेजों की प्रताड़ना से शहीद हुए। लेकिन जातिगत भेदभाव रखने वाले कुठित मानसिकता रखने वाले नेताओं ने हमारे दादाजी का नाम छुपा कर हमारे साथ ही नहीं सम्पूर्ण बहुजन कौम के साथ अन्याय किया है। मेधोनिया ने समस्त बहुजन समाज का आभार व्यक्त करते हुए अपील की है कि सभी सामाजिक नागरिक जन अमर शहीद वीर शहीद मनीराम अहिरवार जी के समान हेतु आवाज उठाये और समाज को जागरूक करें। संगोष्ठी में अनेक बुद्धिजीवीयों की उपस्थिति रही।



महान समाज सुधारक, महान राजनीतिक भारत के दबे कुचले समाज, शोषित, पीड़ित वर्ग को जगाने वाले व समस्त बहुजन समाज को शासक बनाने वाले, अम्बेडकर साहब के मिशन को घर घर तक पहुंचाने वाले उनके सच्चे प्रतिनिधि मान्यवर साहब कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर शत शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि।

शारदीय नवरात्रि पंचमी को शा.प्रा.पाठ.जमुनिया में कन्या भोज का हुआ आयोजन



अनूपपुर। जिले के संकुल उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक अनूपपुर अंतर्गत शासकीय प्राथमिक पाठशाला जमुनिया में शारदीय नवरात्रि की पंचमी के शुभ अवसर पर माता स्कंदमाता के पूजन के उपलक्ष्य पर मातृशक्ति के रूप में कन्याओं को मध्यांतर के समय कन्या भोज के रूप में विद्यालय में नवाचार करते हुए अध्येनरत समस्त बालक बालिकाओं को माता रानी के जयघोष के साथ ही हलवा,पूरी सब्जी,केला,मिष्ठान का भोजन के रूप में भरपेट प्रसाद का वितरण किया गया।तदोपरान्त समस्त प्रसाद ग्रहण करने वाले बच्चों और छात्राओं का चरण स्पर्श कर भेट स्वरूप गिलास और दक्षिणा भी प्रदान किया गया। इस नवाचार से विद्यालय के बच्चों में बहुत उत्साह देखने को मिला माता भवानी से प्रार्थना किया गया कि बच्चों के शिक्षा में निरंतर प्रगति हो, स्वास्थ्य रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। उक्त आयोजन में संकुल प्राचार्य एस.एल. बहेलिया,व्याख्याता राकेश कुमार बाधवा,उच्च.माध्य.शिक्षक अर्चना मिश्रा ,सहायक शिक्षक जयमती धुर्वे,सृष्टि लता खलको,माध्यमिक शिक्षक समाकान्त द्विवेदी,संपत मिश्रा,खेहा,पूनम कुशवाहा,हेतराम साहू,जन शिक्षक संजय नामदेव, रामप्रकाश पटेल एवं रसोइया सुभद्रा कहार आदि द्वारा संपन्न कराया गया।

श्रीफल और जनेऊ के साथ विप्र समाज में सदस्यता अभियान का हुआ शंखनाद

अनूपपुर। विप्र समाज के सदस्यता अभियान हेतु नवाचारी बैठक राम जानकी मंदिर अनूपपुर में वृहद संख्या में उपस्थित होकर वरिष्ठ विद्वान,सर्मापित विप्रजनों द्वारा भगवान परशुराम के जयघोष के साथ प्रारंभ हुआ।जिसमें आगामी कार्य योजना क्रियान्वयन हेतु सर्वसम्मति से विभिन्न प्रस्ताव उत्साहपूर्वक पारित किया गया।

योजनाबद्ध तरीके से सदस्यता अभियान: अनूपपुर में विप्र समाज के सदस्यता अभियान संबंधी बैठक में सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि सदस्य अभियान का आगाज अमरकंटक से सर्वप्रथम पवित्र सलिला मां नर्मदा के पूजन दर्शन उपरांत मंदिर ,मठ के मठाधीशों से आशीर्वाद लेकर प्रारंभ किया जाएगा।वहा से वापस आकर राजेंद्रग्राम विप्र समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्थल पर सदस्यता अशोक पांडे एवं उनकी टीम द्वारा किया जायेगा।सदस्यता हेतु इस अभियान कार्यक्रम में सुंदर काण्ड तथा हनुमान चालीसा के सस्वर पाठ होगा।बैठक भाषण परामर्श से न होकर परिचर्चा पद्धति से होगा ताकि समय का समुचित उपयोग हो सके।कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित सुरेंद्र कुमार मिश्रा तथा मंच संचालक पंडित सुरेंद्र शुक्ला ,जिलाअध्यक्ष आर्यावर्त ब्राह्मण समाज चैतन्य मिश्रा ,अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज परिषद विद्याधर पांडे एवं संयोजक मानस मर्मज्ञ रामनारायण द्विवेदी एवं उपस्थित विप्रों से चर्चा एवं अनुमोदन कर अभियान को आगे बढ़ाया गया। पंडित श्रीनिवास तिवारी द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए। पंडित चैतन्य मिश्रा ने मुख्यालय में कुछ स्थान निश्चित कर सदस्यता अभियान चलाए जाने की बात कही।

ग्यारह हजार विप्र परिवार जोड़े जाने का लक्ष्य: सदस्यता अभियान की बैठक में विप्र समाज के संयोजक पंडित रामनारायण द्विवेदी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि परिवार प्रमुख को नारियल जनेऊ देने के बाद उसका पूरा परिवार सदस्य होगा।इस प्रकार पूरा परिवार



समाज में सम्मिलित होगा जो की हमारे सुख दुख में शामिल होगा।

शंकराचार्य/धर्माचार्यों से सम्मति अनुज्ञा अनुरोध किया जायेगा: सदस्यता अभियान बैठक में आगे पंडित राम नारायण द्विवेदी द्वारा बताया गया कि इस पूरे सदस्यता अभियान की जानकारी श्री विभूषित चारो पीठों के शंकराचार्य एवं धर्माचार्यों को देते हुए उनके आशीष की सफलता की आकांक्षा किया जायेगा।

राजनीति से हटकर चंदा रहित विप्र संगठनों से चर्चा: विप्र समाज के सदस्यता अभियान की बैठक में सबसे मुख्य विषय को सदन में रखते हुए एक स्वर से प्रस्ताव पारित किया गया कि गैर राजनीतिक एवं चंदा रहित संगठनों से सहयोग लिया जाएगा।आयोजन की गरिमा और विशालता को समझते हुए जो उपस्थित नहीं हो पाए उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है।

जिला स्तर पर समिति का हुआ गठन: विप्र समाज की बैठक में जिला स्तर पर समिति गठित की गई जिसमें पंडित रामनारायण द्विवेदी, पंडित कमलेश द्विवेदी, पंडित चैतन्य मिश्रा, पंडित संतोष मिश्रा, पंडित संजय मिश्रा, पंडित बाबूलाल पाठक, पंडित,मधुकर चतुर्वेदी, पंडित शेष नारायण शुक्ला एवं पंडित विद्याधर पांडे जो कि जिला स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

विप्रजनों ने सदस्यता नारियल जनेऊ किया

सर्मापित: सदस्य अभियान में सदस्यता हेतु पंडित रामनारायण द्विवेदी, चैतन्य मिश्रा, विद्याधर पांडे, जगन्नाथ मिश्रा, रामशरण शर्मा, बिहारीलाल, मधुसूदन द्विवेदी, सुरेंद्र शुक्ला, जितेंद्र पाण्डेय, राजमणि पाण्डेय, पंडित कमलेश द्विवेदी, आर पी गौतम, मधुकर चतुर्वेदी, रोहिणी तिवारी, सुधीर द्विवेदी, श्रीनिवास तिवारी, देवानंद शुक्ला, बी एल पाठक, अनिल कुमार मिश्रा, दिनेश मिश्रा, विजय पांडे, जय प्रकाश पांडेय जी, अवधेश सिंह तिवारी, संदीप मिश्रा, संजय मिश्रा, अयोध्या तिवारी, ब्रम्हानंद गर्ग, अमित मिश्रा, डी पी मिश्रा आदि ने श्रीफल और जनेऊ किया सर्मापित।

सशक्त महिला विप्र समाज का गठन

विप्र समाज के सदस्यता अभियान हेतु आयोजित बैठक के उपरांत उपस्थित समस्त विप्र जनो द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि योजनाबद्ध तरीके से सदस्यता अभियान उपरांत सशक्त महिला विप्र समाज का गठन भी किया जायेगा।

विप्र मेट समारोह का होगा आयोजन

अनूपपुर में आयोजित बैठक में विप्र समाज के विभिन्न संगठनों के उपस्थित अध्यक्ष और सदस्य द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी भगवान परशुराम जयंती पर विशाल रूप में विप्र भेट कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

भगवा पार्टी की शिकायत को अगर जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया होता, तो गुजरात पुलिस की जगह मध्यप्रदेश शासन द्वारा कार्यवाही की जाती- कमलेश द्विवेदी

भोपाल में 1,814 करोड़ की ड्रग्स

फैक्ट्री का पर्दाफाश का मामला

अनूपपुर- भारतीय गण वार्ता पार्टी (भगवा पार्टी) अनूपपुर के जिला अध्यक्ष कमलेश द्विवेदी ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि भोपाल में 1814 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दा पास मध्य प्रदेश सरकार की ड्रग्स नीति की पोल खोल कर रख दी है क्योंकि अगर भारतीय गण वार्ता पार्टी के द्वारा भोपाल जिला प्रशासन को पहले ही अगाह किया गया था कि उक्त फैक्ट्री में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही है जिस पर अगर कार्रवाई की गई होती तो शायद गुजरात पुलिस को आकर इस फैक्ट्री पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती और मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था पर एक दाग नहीं लगता ज्ञात हो की गुजरात की पुलिस के द्वारा भोपाल में 1814 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश करने से चार दिन पहले ही फैक्ट्री की प्रदूषण और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कार्यवाही के लिए भोपाल जिला कलेक्टर भगवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार भार्गव ने भोपाल कलेक्टर पत्र लिख कर कार्यवाही की मांग की थी भोपाल में 1,814 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री का खुलासा पूरे देश को हिला देने


वाला है। गुजरात एटीएस और दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र स्थित इस फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में ड्रग्स और कच्चा माल जब्त किया गया। जांचकर्ताओं के अनुसार, इस ड्रग्स से 18 लाख से ज्यादा युवाओं को नशे की लत लगाई जा सकती थी। गुजरात एटीएस ने नासिक के सान्याल बाने, भोपाल के अमित चतुर्वेदी और मंदसौर के हरीश आंजना को गिरफ्तार किया है। सान्याल पहले से ही ड्रग्स मामले में सजा काट चुका था और

कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आया था। इस फैक्ट्री में इंदौर और उज्जैन से आए कच्चे माल से प्रतिदिन 25-30 किलो ड्रग्स तैयार किया जा रहा था जांच में यह भी सामने आया कि फैक्ट्री का वेंटिलेशन सिस्टम असामान्य था, जिसने जांच टीम के शक को बढ़ाया। गुजरात एटीएस की टीम ने फैक्ट्री पर एक महीने तक निगरानी रखी, जिसके



बाद छापेमारी की गई। इस ऑपरेशन से पहले भगवा पार्टी ने फैक्ट्री के संदिग्ध गतिविधियों और प्रदूषण को लेकर चार दिन पहले ही भोपाल जिला कलेक्टर को पत्र लिखा था। अनूपपुर जिला अध्यक्ष कमलेश द्विवेदी ने बताया कि अगर जिला प्रशासन ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया होता, तो मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा ही इस फैक्ट्री पर कार्रवाई की जा सकती थी। उन्होंने इसे भोपाल प्रशासन की बड़ी चूक बताते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। यह ऑपरेशन भोपाल और पूरे देश में अवैध ड्रग्स के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्यवाही है, लेकिन इस फैक्ट्री की संदिग्ध

गतिविधियों पर समय रहते ध्यान न दिए जाने के कारण प्रशासनिक तंत्र की कार्यक्षमता पर सवाल उठे हैं। वही भगवा पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश द्विवेदी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार भार्गव को धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर प्रदेश की सरकार पहले जाग जाती तो मध्य प्रदेश के मुंह में यह कालिख पुतने से बच जाती।



ब्यौहारी में बढ़ता गुंडागर्दी का माहौल



शहडोल/ब्यौहारी - आपको बता दे कि कल दिनांक 10/10/2024 को ब्यौहारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरह टोला के बिजहा गांव में वीरू सोनी पिता रामसुमीरान सोनी (मुंडाली) ने कई लोगों को मार कर घायल कर दिया। जिसमें सबसे पहले रजनीश पटेल पिता रामनेवाज पटेल को जमीनी विवाद के कारण मारा उसके बाद अंगद पटेल पिता महेश पटेल को बकरी ले कर रास्ते से जा रहे था तभी बकरा को बेवजह बात पर वीरू सोनी ने 2,3 लड्ड मार दिया। जब वही पर खड़े अंगद पटेल ने मारने का कारण पूछा तो अंगद को भी कई लाठी मारा और गाली देते हुए जान से मारने की कोशिश भी की और धमकी भी दिया इसके बाद भी कुछ लोगों को भी मारा जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना है जिसकी वजह से ग्रामीण एफआईआर कराने से भी कतरा रहे हैं लोगों के द्वारा 100 डायल करके पुलिस विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद फरियादी अंगद पटेल ब्यौहारी थाना जाकर मौखिक नामजद एफआईआर दर्ज कराई जिसमें निम्न धाराएं लगी हुई हैं इसके बाद रजनीश पटेल भी ब्यौहारी थाना जाकर एफआईआर नामजद एफआईआर दर्ज कराई।



स्टेयरिंग फेल होने से स्कूल वैन पलटी बच्चे घायल

ज्ञान चन्द शर्मा

वारासिवनी। थाना क्षेत्र अंतर्गत खापा और मेहदीवाडा के बीच गुरुवार को एक स्कूली वैन की स्टेयरिंग फेल होने से सड़क किनारे पलट गई हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है वारासिवनी थाना प्रभारी विभेदु व्यकट टाडिया ने बताया है कि सुबह लगभग 9/10 बजे भारतीय विधापीठ स्कूल के बच्चे वैन में स्कूल जा रहे थे तभी स्कूल वैन में बच्चे शिक्षक और चालक लगभग 24 लोग मौजूद थे जो स्टेयरिंग फेल होने से अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई जिसमें कक्षा 1 से 5 वी तक के बच्चे थे घटना में छत्र आयुष छात्रा प्रज्ञा प्रिया आराध्या और काव्या को मामूली चोट आई है तालाब में डूबी बालिका मौत बालाघाट वारासिवनी थाना पुलिस ने तालाब में डूबने से बालिका की मौत के मामले में मार्ग कायम किया हारिशा पिता आशिद अली 16 वर्ष वार्ड न 10 अंबेडकर निवासी की नेवरगांव तालाब में डूबने से मौत हो गई है।

दो एसडीएम सहित 6 विभाग प्रमुखों को नोटिस जारी

ज्ञान चन्द शर्मा

बालाघाट। दो एसडीएम समेत 6 विभागों के प्रमुखों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर मृणाल मीणा ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल और प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण न करने के मामले में यह कदम उठाए हैं ज्ञात हो कि कलेक्टर श्री मीणा सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की प्रति सप्ताह समीक्षा करते हैं शिकायतों के निराकरण के संबंध में बार बार निर्देशित करने के बावजूद शिकायतों का समय सीमा में प्रभावी निराकरण नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है शिकायतों के निराकरण नहीं करने पर बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी व वारासिवनी एसडीएम आर आर पांडे तथा पशुपालन विभाग के उपसंचालक डॉ प्रदीप कुमार अतुलकर जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय जिला परियोजना अधिकारी डॉ महेश शर्मा खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति बघेल जिला योजना अधिकारी बलवत रहगडाले और जिला परिवहन अधिकारी अनिमेष गडपाले को नोटिस जारी किए गए हैं।

लामता क्षेत्र में मादा तेंदुए की आहत से दहशत में ग्रामीण

ज्ञान चन्द शर्मा

बालाघाट। जिले के लामता अंतर्गत सुदामापुरी में लगभग 15 दिन से तेंदुए के दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत है ग्रामीणों की माने तो प्रतिदिन तेंदुआ को बालाघाट से नैनपुर नेशनल हाईवे में देखा जा रहा है लामता के एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की तस्वीर कैद हुई है जिसका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दी है चूंकि रात में कमी रहते हैं जिससे कभी भी

तेंदुए के हमले की घटना हो सकती है ग्रामीणों का कहना है कि वनविभाग को रात्रि गश्त कर तेंदुए को जंगल में भेजना चाहिए ताकि नागरिक सुरक्षित रह सके वन क्षेत्र उत्तर लामता में तेंदुए के दिखाई देने की घटना पर परिक्षेत्र अधिकारी कृष्ण कुमार नामदेव बताते हैं कि लामता में तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिली है विगत सात आठ माह से मादा तेंदुआ अपने दो शावकों के साथ रोज में घूम रही है जो पहले क्षेत्र के अरनामेटा चागोटोला और नगर वाडा में दिखाई दी थी जहां पिंजरा और मुनादी कराए

जाने के बाद पटाखे फोड़ जाने से वह अब लामता में आ गई है विभाग लगातार गश्त कर लोगों को उससे बचाव के लिए जागरूक कर रहा है उसे फटाखे फोड़कर भगाने का किया जा रहा है जिससे वह शावकों के साथ जंगल की ओर चले जाए यहा भी पिंजरा लगाकर गश्त की जा रही है लोगों से अपील है कि वह अकेले घुमने या खुले में शौच करने ना जाए अपने साथ लाठी रखे जनसहयोग की अपेक्षा है चूक वन्यप्राणी तेंदुआ स्वभाव से हिंसक होता है कुछ समय बाद वह चला जाएगा।

आग की लपटों से घिरी कार, चालक ने फुर्ती दिखाकर बचाई अपनी जान, पुल पर दिखा खौफनाक नज़ारा

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

कुछ दिनों से पूरे भारत में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वाइरल वीडियो में एक पुल के ऊपर एक कार जो भीषण आग की लपटों से घिरी हुई है और अपने आप चलती हुई दिखाई दे रही है जिसे देखकर आसपास उपस्थित लोग दहशत में आ गए हैं। इस दौरान वहाँ पर मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल फोन द्वारा इस घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया। गनीमत रही की कार में मौजूद चालक ने समय पर कार का हेंडब्रेक लगाया और जलती हुई कार से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है की चालक के द्वारा कार के हेंडब्रेक लगाने के बावजूद कार दुबारा सड़क पर चल पड़ी जिससे सड़क पर उपस्थित लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे घटना में एक मोटर साइकिल जलती हुई कार की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई सूत्रों के अनुसार वीडियो जयपुर का बताया जा रहा है। दरअसल वाइरल वीडियो में नज़र आ रही कार में आग लगने का कारण कार की तारों में शॉर्ट सर्किट



होना बताया जा रहा है। जल्दी ही आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया भाग्यवश कार में चालक के अलावा कोई और लोग नहीं थे। अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कुछ दूर चलने के बाद कार डिवाइडर से टकराकर रुक गई।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर डीजे संचालकों के विरुद्ध भोपाल पुलिस की कार्यवाही

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल

नवरात्रि एवं दशहरे के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईडलाइन एवं दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले 91 डीजे संचालकों के विरुद्ध भोपाल पुलिस ने की कानूनी कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन में एवं मध्यप्रदेश शासन की मंशानुसार शहर के सभी डीजे संचालकों की कमिश्नर कार्यालय सभागार एवं सभी थानों में बैठक आयोजित कर ध्वनि संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया था कि त्यौहारों के दौरान सभी संचालक नियत समय एवं निर्धारित डेसीबल में ही डीजे का संचालन करेंगे, जिसके उपरांत सभी थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के डीजे संचालकों के खिलाफ बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गई थी।

उपरांत त्यौहारों के दौरान भी संचालकों को बार-बार समझाइश दी गई कि डीजे नियत समय सीमा तक एवं निर्धारित डेसीबल में ही संचालित करें। त्यौहार के दौरान पुलिस द्वारा उनकी सख्त निगरानी गई एवं डीजे की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई गई तथा दिशा-निर्देशों का पुलिस द्वारा बार-बार समझाइश के बाद भी उल्लंघन करने वाले कुल 91 डीजे को चिह्नित कर संचालकों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 223, कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 एवं वाहन के मूल स्वरूप को बदलकर डीजे वाहन बनाने के कारण मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि डीजे के अत्यधिक शोर से वृद्ध, बीमार एवं आम नागरिकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा एवं पुलिस को भी शान्ति एवं सुरक्षा



व्यवस्था बनाये रखने में भी काफी दिक्कत हुई। उपरोक्त कार्यवाही आगामी समय में भी जारी

रहेगी। उक्त सभी डीजे को जप्त कर माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय में नुककड़ नाटक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश




गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर मानसिक रोग विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय के वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षकों, नर्सिंग टीचर्स, मेडिकल एवं नर्सिंग छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मेडिकल के छात्रों द्वारा मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक नुककड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई जिसमें सन्देश दिया गया कि मानसिक रोग उपरी हवा या भूत प्रेत कि वजह से नहीं होते। मानसिक रोग होने पर मनोचिकित्सक द्वारा मनोवैज्ञानिक एवं दवाओं के माध्यम से उपचार करवाना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय की अधिष्ठाता ने अपने उद्बोधन में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व समझाते हुए सभी को प्रसन्नचित रहते हुए कार्यस्थल पर कार्य करने का सन्देश दिया। नुककड़ नाटक के पश्चात मानसिक रोग विभाग में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम - कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय यही है, पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अपने उद्बोधन में विभाग द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रमों कि सराहना की एवं वर्क-कल्चर बेहतर होने कि जरूरत पर बल दिया। मानसिक रोग विभाग के विभागाध्यक्ष ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के इतिहास एवं महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 13.9% आबादी मानसिक रोग से ग्रस्त है, पर जागरूकता के अभाव में ट्रीटमेंट गैप 90% से भी अधिक है। उन्होंने मानसिक रोगों से बचाव एवं उपचार के तरीके बताये। सह-प्राध्यापक डॉ. रूचि सोनी ने अपने व्याख्यान में कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाये रखने के गुर बताये। विभाग की सहायक प्राध्यापक ने मानसिक रोगों के लक्षण बताये जिससे मानसिक रोगों कि समय रहते पहचान हो सके एवं रोगी को त्वरित उपचार उपलब्ध हो सके। कार्यक्रम के अंत में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित रंगोली, पोस्टर एवं स्लोगन कम्पटीशन के विजेता छात्रों एवं नुककड़ नाटक के सहभागियों को विशिष्ट अतिथि, हमीदिया चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा पुरस्कार वितरित किये गये।

दिनदहाड़े हो रहा रेत का अवैध खनन

रिपोर्टर-राजू राय



शहडोल। जिले में अवैध उत्खनन कर परिवहन जोरों शोरों पर चल रहा है। अब तो दिनदहाड़े माफिया रेत और मिट्टी का खनन कर परिवहन कर रहे हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। जैतपुर थाना क्षेत्र के चौकी झीक बिजुरी के गौशाला के समीप दिनदहाड़े जेसीबी लगाकर ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी का अवैध खनन कर परिवहन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चौकी प्रभारी की शह पर यह काला कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। झीक बिजुरी के गौशाला के समीप मिट्टी का अवैध खनन करने का वीडियो सोशल मीडिया में



फाइल फोटो

खुब सुर्खियां बटोर रहा है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुपम गौतम ने कहा कि पुलिस की शह पर यह काला कारोबार किया जा रहा है। जिसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में सड़क निर्माण हो रहा है, जिसके लिए स्थानीय कुछ माफियाओं के द्वारा गौशाला के समीप जेसीबी लगाकर दिनदहाड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी का खनन कर परिवहन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी चौकी प्रभारी एवं खनिज विभाग को दी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञात हो कि यह वही चौकी प्रभारी है,

जिनका एक ऑडियो बीते कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था। जिसमें वह गांव के एक युवक से मुर्गों की मांग कर रहे थे। ऑडियो ने कुछ दिन पहले पुलिस की छवि को धूमिल की थी, लेकिन अधिकारियों ने चौकी प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री गौतम ने कहा कि ऑडियो वायरल होने के बाद भी कार्रवाई न होने से चौकी प्रभारी के हौंसले और बलुंद हो गए, अब तो वह दिनदहाड़े खुलेआम रेत व मिट्टी का खनन करवा कर परिवहन करवा रहे हैं और माफिया से हर महीने मोटी रकम ले रहे हैं।

सौ दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निराकरण अति शीघ्र सुनिश्चित करने का साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिया निर्देश



रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों की सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों और समय-सीमा में प्राप्त पत्रों की समीक्षा कर उनका समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभागों में लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें। उन्होंने विशेष रूप से 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों का उल्लेख करते हुए उनका निराकरण शीघ्र-अति शीघ्र सुनिश्चित करने निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। कलेक्टर ने राजस्व अभियान में आई प्रगति की सराहना की और अधिकारियों को इसे निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, अवैध कॉलोनियों से संबंधित प्रकरणों पर कड़ी नजर रखते हुए, इनका शीघ्र निपटारा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध

कॉलोनियों के मामलों की प्रभावी निगरानी और समाधान के लिए एक 'कॉलोनी सेल' का गठन किया जाए, जिससे इस प्रकार के मामलों का उचित और समयबद्ध समाधान हो सके। कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी प्रकरण निर्धारित समय-सीमा के बाहर न जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रत्येक विभाग अपनी-अपनी योजनाओं और प्रकरणों की नियमित समीक्षा करे और प्रगति की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इसके साथ ही माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की विस्तार से जानकारी दी गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि लोक कल्याण शिविरों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है और इन शिविरों में प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए, ताकि आम जनता को अधिकतम राहत मिल सके। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को जोर देकर कहा कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जाये, जिससे जनता तक इनका लाभ प्रभावी रूप से पहुँचे और जिले में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जा सके।

डंपर की टक्कर से युवक घायल

ज्ञान चन्द शर्मा

बालाघाट। लालबर्बा थाना पुलिस ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया है पुलिस ने बताया है कि योगेश हरिनखेड़े 34वर्ष साहूटोला मांझापुर निवासी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उसने बताया है कि डंपर क्रमांक एमपी 22 जेडसी5053 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारी है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है पीडित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शराब डंपर चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले में विवेचना में लिया है।

राज्य स्तरीय शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन



शहडोल - सहायक संचालक खेल श्री रईस अहमद ने जानकारी दी है कि मध्यप्रदेश की 68वीं राज्य स्तरीय शालेय अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता शहडोल जिले के बुढ़ार एवं धनपुरी में आयोजित किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश की 68वीं राज्य स्तरीय शालेय अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला ग्वालियर वर्सेस भोपाल एवं तीसरे स्थान के लिए उज्जैन का मैच जबलपुर के साथ कल सुबह संपन्न होगा ग्वालियर ने पहले खेलते हुए 121 रन बनाए और 90 रमन में उज्जैन संभाग ऑल आउट हो गई 30 रनों से ग्वालियर ने मैच जीत के फाइनल में प्रवेश किया भोपाल ने पहले खेलते हुए 117 रन बनाए जवाबी पारी

में पूरी टीम जबलपुर के 84 रनों पर आउट हो गई और 33 रनों से भोपाल ने मैच जीत के फाइनल में प्रवेश किया। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश की 68वीं राज्य स्तरीय शालेय अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच 18 अक्टूबर को खेल जाएगा।

कृष्णा चौधरी ने हॉस्पिटल में जाकर किया रक्तदान

संवाददाता हल्केवीर की न्यूज

नर्मदापुरम। जिले के इटारसी (जुझारपुर) गांव में रहने वाले कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के मीडिया समन्वयक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले कृष्णा चौधरी ने नर्मदापुरम जाकर एक जरूरतमंद को रक्त दान किया है जानकारी के मुताबिक जुझारपुर निवासी कृष्णा ने ?शिवराज अहिरवार निवासी बाबाई नर्मदाअस्पताल में भर्ती है उन्हें Ab+ रक्त की आवश्यकता थी और जब कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हुई जैसे ही कृष्णा को अवगत हुआ तो नर्मदापुरम पहुंचकर रक्तदान किया कृष्णा ने अबतक 5 बार रक्तदान किया। इससे पहले भी कई बार रक्तदान कर चुके हैं, और उनके युवा साथियों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं। कृष्णा चौधरी का कहना है कि जब भी किसी जरूरतमंद इंसान को रक्त की जरूरत हो तो, हम सभी लोगों को रक्तदान के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। इस दौरान उनके साथ इस गणेश अहिरवार, मोहित अहिरवार, अरूण अहिरवार, नीतेश अहिरवार, संस्कार अहिरवार, अंकित अहिरवार, नीलेश अहिरवार, अनुबुद्ध पटेल साथ रहे।



टीवी मुक्त ग्राम पंचायत अवार्ड पंचायत चीकली के साथ अन्य 106 ग्राम पंचायतों को मिला

संवाददाता हल्केवीर की न्यूज



देवरी। टीवी मुक्त पंचायत अभियान के अंतर्गत जिले की टीवी मुक्त ग्राम पंचायतों को अवार्ड वितरण समारोह लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तथा सांची विधायक डॉ प्रभुधाम चौधरी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। जिसमें स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री पटेल तथा विधायक डॉ चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री टीवी मुक्त अभियान अंतर्गत वर्ष 2023 में रायसेन जिले की कुल 107 चयनित टीवी मुक्त ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा सचिवों को महात्मा गांधी जी की प्रतिमा और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसी तारतम्य में ग्राम पंचायत चीकली से सरपंच श्रीमती किरण देवेन्द्र पटेल को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता सेन, कलेक्टर श्री अरविंद दुबे, एएसपी श्री कमलेश कुमार, समाजसेवी श्री राकेश शर्मा भी उपस्थित रहे।

राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने हल्के एवं क्षेत्रों में जाएं तहसीलदार- कलेक्टर

शहडोल - कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की उपस्थिति में आज कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राजस्व के प्रकरणों के निराकरण में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राजस्व विभाग में दर्ज प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बैठक में कलेक्टर ने समस्त तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि तहसीलदार अपने क्षेत्र व हल्के का भ्रमण करें तथा भ्रमण के दौरान लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने कहा है कि राजस्व के ऐसे प्रकरण जिनमें दोनों पक्ष अपने-अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं उन दोनों पक्षकारों से राजस्व अधिकारी स्वयं बात कर दोनों के बीच में समन्वय स्थापित कर प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन हल्के एवं ग्राम पंचायत से ज्यादा प्रकरण हो उन हल्के व क्षेत्र के पटवारी सतत रूप से कैप लगाकर रजस्व प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व अधिकारी अपने न्यायालय में बैठने हेतु दिन तय कर ले एवं तय किए गए दिन को प्राथमिकता के साथ न्यायालय में बैठ कर लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कलेक्टर ने साइबर तहसीलों में तामीली एवं लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की तथा

राजस्व अधिकारी न्यायालय में बैठने हेतु तय करें दिन- कलेक्टर

कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक



निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कमिश्नर कार्यालय से प्राप्त समयावधि पत्रों की भी समीक्षा की। कमिश्नर कार्यालय से प्राप्त समयावधि पत्रों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए की कमिश्नर कार्यालय से जितने भी प्रकरण आए हैं उनका निराकरण हेतु तहसीलदार स्वयं संबंधित ग्राम पंचायत में जाएं और प्रकरणों का निराकरण कर प्रतिवेदन कमिश्नर कार्यालय को प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें। बैठक

में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री आर अंजली, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर श्री अरविंद शाह, सहायक कलेक्टर सौम्या आनन्द, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयसिंहनगर श्रीमती प्रगति वर्मा, ब्योहारी श्री नरेंद्र सिंह धुर्वे, जैतपुर श्रीमती अमृता गर्ग, डिप्टी कलेक्टर श्री भागीरथी लहरे, श्रीमती ज्योति परस्ते श्रीमती अन्तोनीयो एक्का सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

पटवारी अपने हल्के व ग्राम पंचायतों में समस्याओं के निराकरण हेतु लगाएं शिविर- कलेक्टर

विभागीय दौरे के दौरान स्कूल, कालेज, छात्रावास, एवं आंगनवाड़ी का भी निरीक्षण करें अधिकारी- कलेक्टर

कलेक्टर ने की समयावधि पत्रों की समीक्षा

शहडोल - कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की उपस्थिति में आज कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने सभी विभागों की विभागावार समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित करते हुए कहा है कि पटवारी अपने हल्के क्षेत्र व ग्राम पंचायतों में आम जनो की समस्याओं के निराकरण हेतु सप्ताह में 2 दिन शिविर लगाएं। उन्होंने कहा है कि पटवारी शिविर के दौरान आम जनो से प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं को अच्छी तरह से समझेंगे



तथा उनका निराकरण हेतु उचित कार्यवाही करेंगे। शिविर के दौरान पटवारी खाद्यान्न, पेंशन, बीपीएल संबंधी, नामांतरण, बटांकन, नक्सा तरमीम सहित अन्य शिकायतों के आवेदनों में से राजस्व संबंधी शिकायतों को स्वयं तथा अन्य शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारी को निराकरण हेतु प्रेषित करेंगे। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए हैं कि वे शिविर लगाने हेतु कार्य योजना बनाएं तथा कार्य योजना बनाकर शिविर लगाने की कार्यवाही करें। बैठक में कलेक्टर ने समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि वे अपने विभागीय दौरे के साथ-साथ छात्रावास, स्कूल, कालेज, आंगनवाड़ी केन्द्रों का भी निरीक्षण करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं

कि अधिकारी निरीक्षण के दौरान छात्रावास, स्कूल, कालेज एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में मिलने वाली सुविधाओं, छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की उपस्थिति तथा अन्य आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी लेंगे। बैठक में कलेक्टर ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि वे जिले में कुपोषण की बीमारी से ग्रसित बच्चों की जानकारी रखें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि कुपोषित बच्चे के सामुदाय की भी जानकारी तथा कुपोषित बच्चे के घर, मोहल्ले एवं गांव का भ्रमण करें तथा उनके खान-पान एवं रहन-सहन को देखें। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि महिला बाल विकास विभाग की टीम भ्रमण के दौरान कुपोषण के इलाज एवं इससे बचाव के बारे में भी आमजनो को जानकारी देंगे।

बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को संबंधित अधिकारी गंभीरता से लें तथा शिकायतों के निराकरण करने की कार्यवाही करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को अधिकारी अटेन्ड करें तथा निराकरण करने की कार्यवाही करें। इसी प्रकार कलेक्टर ने, जल संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, सहकारिता विभाग सहित अन्य विभागों की भी समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर श्री अरविंद शाह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयसिंहनगर श्रीमती प्रगति वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतपुर श्रीमती अमृता गर्ग, डिप्टी कलेक्टर श्री भागीरथी लहरे, श्रीमती ज्योति परस्ते, श्रीमती एन्तोनीयो एक्का सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

20 अक्टूबर रविवार को जिला मुख्यालय रायसेन में सामाजिक कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक आमंत्रित है

संवाददाता हल्केवीर

उदयपुरा। भारत रत्न, भारतीय संविधान के जनक, आधुनिक भारत के आर्किटेक्टर, बोधि सत्व, परम पूज्य बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर जी के रायसेन, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सागर, विदिशा, सीहोर, भोपाल आदि जिलों के समस्त अनुयायियों को सूचित किया जाता है कि 06 दिसंबर 2024 को जिला मुख्यालय रायसेन में बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना के कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 20 अक्टूबर 2024, दिन रविवार को समय दोपहर में 12.00 से 04.00 बजे तक जिला मुख्यालय के डॉ भीमराव अम्बेडकर भवन रायसेन में विशेष बैठक आयोजित है। उक्त बैठक में प्रशासनिक अधिकारी /कर्मचारी गण, राजनीतिक नेतागण एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी गण विशेष अतिथि रहेंगे। बैठक में प्रतिमा स्थापना के कार्यक्रम की जिम्मेदारियां तय की जायेंगी। अतः बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर जी के समस्त अनुयायियों से



विनम्र अपील है कि बैठक में अवश्य पधारें। साधुवाद!!
पत्रकार बंधु अपीलकर्ता- बालेलाल सूर्यवंशी, नागेश नरवरिया, आशीष रजक, संतोष मालवीय, मनोहर डागोर, हल्केवीर सूर्यवंशी, राजेश रजक, कमर राणा, मंगलसिंह चौधरी, तखत सिंह अहिरवार, मिथलेश मेहरा, विमलेश जाटव, मुकेश दिवाकर, विनोद कुमार, हरभजन जांगड़े, सुनील सेरिया

आयोजक-

गोटीराम बघेल, बल्लू चौधरी, जगदीश अहिरवार, पप्पू रेवाराम अहिरवार, प्रियंका जाटव, भगवान दास लोहट, एड. मुकेश शाक्या, तनवीर राठौरिया, मुकेश अहिरवार, काशीराम अहिरवार, धनराज सूर्यवंशी, मुकेश कटियार, पूरनलाल अहिरवार, सुरेंद्र अहिरवार, दिनेश बघेल, हेमन्त सहपुरिया, अशोक अहिरवार, कपिल अहिरवार, विश्राम सांगा, पोहप सिंह चौधरी, चैनसिंह सिसोदिया, नितिन रोहर, अंकित डागोर, जी डी बंसकार, भागचंद अहिरवार, रवि मांडरे, कोमल

अहिरवार, घासीराम अहिरवार, इंजीनियर मुकेश चौधरी, मोहन जाटव, एड. जितेंद्र मूलनिवासी, डी के बघेल, पंचम अहिरवार, बालकृष्ण नरवरिया, गोपाल केतोधानिया, खेमचंद पारोचे, हल्के भईया अहिरवार, रामकुमार जाटव, हरगोविंद त्रिपालिया, मन्नु लाल चौधरी, कमलेश ठेकेदार, घनश्याम अहिरवार, कुंअर सुरजीत सिंह, मोहन मांडरे, भरो सिंह अहिरवार, कड़ोरी लाल अहिरवार, दौलत अहिरवार, राजेंद्र अहिरवार बम्होरी, गोपाल सिंह दिवाकर, भगवानदास अहिरवार, गुड्डू अहिरवार, हरी प्रसाद चौधरी, डॉ धर्मेन्द्र अहिरवार, माखन सिंह परिहार, मोहन अहिरवार, सुनील वाल्मीकि, राकेश अंबेडकर, इमरत सिंह दरबार, ब्रजेश वामनिया, भगवान सिंह चौधरी, बृजेश चौधरी, रमेश कुमार सहरिया, संतोष चौधरी, रंजीत रसोलिया,
निवेदक- रमन बामने मो. 9893804204, अतरसिंह भारतीय मो. 8109583277 एवं समस्त सामाजिक कार्यकर्ता, जिला रायसेन

ग्राम हाथीडोल में कोया पुनेम गौडी धर्म दर्शन का आयोजन

संवाददाता हल्केवीर



देवरी। ग्राम हाथीडोल में दिनांक 5/10/2024 से 11/10/2024 तक बड़ा देव ठाना सेवा समिति हाथीडोल के तत्वाधान में कोया पुनेम गौडी धर्म दर्शन का आयोजन किया गया जिसमें कोया पुनेम धर्माचार्य तिरुमल 750 दादा सोहन शाह पंद्र जी द्वारा गौडी धर्म संस्कृति, गौडी टोटम, गौडी सिस्टम, गौडी पूजन पद्धति एवं गौडी देव पूजन आदि विभिन्न गौडी रीति रिवाज से विस्तार पूर्वक बतलाया गया। गौडी धर्म दर्शन आयोजन में तिरु धर्मवीर राजा साहब चुनहेटिया, तिरु देवेन्द्र पटेल विधायक सिलवानी, तिरु शोभाराम उडके अध्यक्ष जनपद पंचायत चावरपाठा, तिरु रोशन लाल धुर्वे जनपद सदस्य उदयपुरा धर्मदास इमने जनपद सदस्य सिलवानी, विजय पटेल जायस अध्यक्ष जिला रायसेन, तिरु सुग्रीव ठाकुर जनपद सदस्य चावरपाठा, अंजना मरकाम अध्यक्ष महिला मोर्चा केजीएम नरसिंहपुर, हाकम सिंह बारिवा अध्यक्ष भोमक संघ रायसेन एवं क्षेत्रीय गौंड समाज आदि श्रोतागण सम्मिलित रहे।

सैकड़ों लोगों ने दी स्वर्गीय श्रीमती हल्की बाई अहिरवार को शोक श्रद्धांजलि।।



संवाददाता हल्केवीर

देवरी। तहसील देवरी के कटक में स्वर्गीय श्रीमती हल्की बाई अहिरवार को सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की दिनांक 16/10/2024 दिन बुधवार को एक शोक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कटक में किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने उनको शोक श्रद्धांजलि अर्पित की इस दौरान पुत्र शंकर लाल अहिरवार, हल्केवीर अहिरवार, बरेवीर अहिरवार, मुनीम अहिरवार एवं देवर रामलाल अहिरवार नाती वीरेंद्र, अरविंद, चमन, मुकेश, रेवाराम लोकमन, दीपक ने भी उनको शोक संवेदनाएं व्यक्त की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिवनी जिले के हादसे पर दुःख व्यक्त किया

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी जिले की लखनादौन तहसील में ट्रैक्टर-ट्रॉली के हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से तीन नागरिकों की करंट लगने से हुई असायनिक मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह पीड़ादायक घटना है। उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजन को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना बाबा महाकाल से की है। इस हादसे में दिवंगत नागरिकों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से दो-दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए हैं।

लोकायुक्त पुलिस की छापा पड़ने से क्षेत्र में हड़कंप मच गई



समनापुर। जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत जाड़ासुरंग में पदस्थ सचिव मनोज यादव के आवास में आज 16 अक्टूबर की सुबह 5 बजे लोकायुक्त पुलिस की छापा पड़ने से क्षेत्र में हड़कंप मच गई, लोगों को छापा की जानकारी लगते ही लोग कोतुहल बस घर के बाहर जमा हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज यादव के नियुक्ति को लेकर भी संदेह है, चूंकि मनोज यादव ग्राम पंचायत बम्हनी का मूल निवासी हैं, जबकि इनकी नियुक्ति नियमों को दरकिनार कर ग्राम पंचायत फिटारी में की गई थी, दस्तावेजों के अवलोकन करने पर



साफ नजर आता है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में एक ही व्यक्ति, वह भी दूसरे गांव का निवासी है को प्रस्तावित पारित कर धोखाधड़ी कर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसको लेकर अनेकों बार शिकायतें भी हुईं लेकिन पैसों के आगे प्रशासन के नियम निर्देश और जांच अधिकारी सब परत हो गए फिलहाल ग्राम बम्हनी स्थित आवास में लोकायुक्त पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है, लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरबड़े के नेतृत्व में दस सदस्यी टीम कार्यवाही में शामिल है, यदि लोकायुक्त पुलिस नियुक्ति की जांच करें तो बड़ा खुलासा हो सकता है।

क्या है, अशोक धम्म विजय दिवस ?



अशोक धम्म विजय दिवस एक त्योहार है जो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन की याद दिलाता है। इसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है धम्म चक्र प्रवर्तन का दिन। यह हिंदू माह आश्विन के 10 वें दिन मनाया जाता है, जो इस वर्ष 12 अक्टूबर को है। इस दिन, लाखों बौद्ध और अंबेडकरवादी नागपुर में दीक्षाभूमि जाते हैं, जहां डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने 1956 में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। दीक्षाभूमि नव-बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान है, क्योंकि इसमें डॉ. अंबेडकर की राख और एक स्तूप है। जो उनकी शिक्षाओं का प्रतीक है। आगंतुक बुद्ध, अम्बेडकर और अशोक के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, और विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। अशोक धम्म विजय दिवस धम्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए खुशी और शांति का दिन है। यह अशोक की करुणा और बुद्धिमत्ता को याद करने का दिन है, जिन्होंने हिंसा त्याग दी और पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का संदेश फैलाया। यह अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने का भी दिन है, जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया और लाखों उत्पीड़ित लोगों को धम्म के माध्यम से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया।
धम्म प्रवर्तन दिवस की हार्दिक बधाई

कमिश्नर से अतिथि शिक्षक ने प्रभारी प्राचार्य यशवंत सिंह की थी शिकायत अभी तक नहीं हुई कोई कार्यवाही

रोहित तिवारी

शहडोल। विद्यालय जिसे हम मां सरस्वती का मंदिर कहते हैं और गुरु जो भगवान से बढ़ कर माने जाते हैं ऐसे में जब कोई गुरु अपने कर्तव्यों को भूल गुरु के मान सम्मान कि धज्जियां उड़ाते हुए मां सरस्वती के मंदिर को व्यापार का अड्डा बना लें तो ऐसे गुरु को आप क्या कहेंगे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं ऐसा ही एक ताजा मामला प्रकाश में आया है श्रीमती पूजा सोनी पति सचिन कुमार सोनी निवासी.ग्राम करूआ पोस्ट गोहपारू जिला-शहडोल (म.प्र.) की निवासी ने कमिश्नर संभाग शहडोल को शिकायत पत्र दिया अपने शिकायत पत्र में श्रीमती पूजा सोनी अतिथि शिक्षक ने बताया कि गत वर्ष 2023-24 से अतिथि शिक्षक के रूप में शा.उ.मा.वि. गोडारू में अध्यापक कार्य कर रही हूँ, शासन के नियमानुसार पूर्व अतिथि शिक्षक को वर्तमान शिक्षा सत्र वर्ष 2024-25 रखे जाने का विधान है, जिसके परिपालन में श्रीमती पूजा सोनी सहित अन्य अतिथि शिक्षकों को संस्था में रखे जाने हेतु जिला अनुमोदन समिति किया जा चुका है तत्पश्चात श्रीमती पूजा सोनी दिनांक 02/08/2024 से दिनांक 25/08/2024 तक विद्यालय में अध्यापक कार्य की है प्रभारी प्राचार्य यशवंत सिंह द्वारा 15000/- रुपये जिला अनुमोदन समिति खर्च बता कर मांगा गया मेरे द्वारा न दिए जाने के कारण दिनांक 26/08/2024 को श्रीमती पूजा सोनी को संस्था में अध्यापक कार्य कार्ये जाने से मना कर दिया गया और अतिथि शिक्षक से प्रथक कर दिया गया है।

जिला अनुमोदन समिति के भ्रष्टाचार की खुली पोल श्रीमती पूजा सोनी की शिकायत ने जहां एक ओर दबंग प्राचार्य यशवंत सिंह के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के जिला अनुमोदन समिति के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी आप स्वयं अंदाजा लगाए कि शा.उ.मा.वि. गोडारू में श्रीमती पूजा सोनी सहित कुल 11 अतिथि शिक्षक हैं और प्रति अतिथि शिक्षक से 15000 रुपए खर्च अगर लिया गया तो कुल 1,65,000 रुपए शिक्षा विभाग के जिला अनुमोदन समिति खर्च अधिकारियों ने लिया वहीं अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी ने दबंग प्राचार्य यशवंत सिंह के द्वारा 15000 रुपए जिला अनुमोदन समिति खर्च न देने पर अतिथि शिक्षक से प्रथक कर दिया गया। बता दें कि जिला अनुमोदन समिति के द्वारा अतिथि शिक्षक आमंत्रण अनुमोदन पत्रक सत्र 2024-2025 में सभी अतिथि शिक्षक को अनुमोदित तो कर दिया था और सभी उच्च शिक्षा अधिकारियों ने पत्रक में अपनी सिल सहित हस्ताक्षर भी कर दिए थे वहीं श्रीमती पूजा सोनी ने आरोप लगाया कि प्राचार्य यशवंत सिंह ने 15000 रुपए न मिलने पर सिविल सेवा आचरण अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए अधिकारियों द्वारा अनुमोदित पत्रक में एक टिप लिख दिया गया कि अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी वर्ग 1 को छोड़ कर अनुमोदित है वहीं पत्रक में सभी अतिथि शिक्षक के नाम के आगे सही का मार्क लगा हुआ है आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि शासकीय आदेश पत्रक में छेड़छाड़ करने वाले शासकीय कर्मचारी पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं पत्रक में जो

टिप लिखा गया है उसे टिप की भी जांच होनी चाहिए आखिर वह टिप किसने लिखा।

दबंग प्राचार्य ने उच्च अधिकारियों को किया गुमराह: बता दें कि दबंग प्राचार्य यशवंत सिंह ने जहां अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी से 15000 रुपए की मांग की वहीं दूसरी ओर शा.उ.मा.विद्यालय गोडारू में अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी से दिनांक 02/08/2024 से दिनांक 25/08/2024 तक विद्यालय में अध्यापक कार्य भी करवा वहीं अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी द्वारा उपस्थित पंजी में अपने हस्ताक्षर भी किए गए और 26/08/2024 से सेवा समाप्त कर दिया गया। इतना ही नहीं दबंग प्राचार्य यशवंत सिंह ने अपने उच्च शिक्षा अधिकारी बीईओ गोहपारू को उपस्थित भी नहीं भेजा गया काम भी कराया गया और वेतन भुगतान नहीं किया गया। बता दें कि अर्थशास्त्र एवं भुगोल की अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी की सेवा समाप्त होने के बाद छात्रा छात्राओं की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है तिमाही परीक्षा हो गई लेकिन आज दिनांक तक अर्थशास्त्र एवं भुगोल की क्लास न लगी जिससे छात्रा छात्राओं की पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी ने कमिश्नर से मांग की अतिथि शिक्षक कार्य में पुनः रखा जाए एवं प्राचार्य यशवंत सिंह के खिलाफ जांच कर कार्यवाही की जाए।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया: नहीं ऐसा नहीं है यहां जो अनुमोदन समिति है हमारी समिति के कोई भी अधिकारी कर्मचारियों ने किसी प्रकार की कोई रुपए की डिमांड नहीं

की है जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं गलत हैं और पत्रक में अगर कोई टिप लिखी गई है तो वह जांच का विषय है मामला गंभीर है इसकी जांच होनी चाहिए।

अमरनाथ सिंह परिहार

जिला परियोजना समन्वयक शहडोल

वह विद्यालय हमारे अंडर में नहीं है मामला हमारे पास आया था हमने लिखकर ऐसी ट्राइबल को भेज दिया है वहीं से उसकी जांच होकर मामले में कार्यवाही होगी समिति में हमारे यहां से एक लोग रहते हैं और कोई पैसे की मांग नहीं करते हैं।

मोहन पाठक

जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल

जो भी आरोप लगाए गए हैं गलत है कमिश्नर महोदय के यहां शिकायत की गई है और कमिश्नर साहब के द्वारा टीम को निर्देशित किया गया है जांच के लिए अभी टीम नहीं आई है जिस दिन टीम आएगी सब स्पष्ट हो जाएगा।

यशवंत सिंह प्राचार्य

हायर सेकंडरी विद्यालय गोडारू

हां हमारे भी पत्रक में हस्ताक्षर होते हैं लेकिन उसमें कोई टिप नहीं लिखी गई है और अगर टिप लिखी है तो किसने लिखी है वह जांच का विषय है आप शिकायत की काफी हमको दिलवाई है हम उसकी जांच करवा कर कार्यवाही करेंगे।

आनंद राय सिन्हा

सहायक आयुक्त आदिवासी

विकास विभाग शहडोल

पांच हजार रुपये का इनामी आरोपी गिरफ्तार

रिपोर्ट रोहित तिवारी




पुलिस अधीक्षक शहडोल श्री कुमार प्रतीक के द्वारा जिले में पूर्व के अपराधों में फरार आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु दिशा-निर्देश दिये गए हैं। जिसके तारतम्य में दिनांक 20.09.2024 को एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में आरोपी शनि पनिका (दिवान) पिता जगन्नाथ पनिका उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम लखवरिया घटना दिनांक से फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शहडोल के द्वारा 5000/- रुपये इनाम की घोषणा की गई थी। खैरहा पुलिस द्वारा दिनांक 17.10.2024 को उक्त आरोपी शनि पनिका को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी में थाना खैरहा से उपनिरी. दिलीप सिंह के नेतृत्व में प्रअर0 राम नाथ बांधव, अर0 सतीश कुमार एवं गिरांज कंसाना के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने में सराहनीय भूमिका रही है।

केरल में हो रहे देश विरोधी अपराध, सीएम ने मुझे अंधेरे में रखा: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार पर अपने हमले तेज करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राज्य में हो रहे 'देश विरोधी अपराधों' को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा। राज्यपाल ने यह भी कहा कि अब तक मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक "मुख्यमंत्री की इजाजत के बिना" नियमित रूप से राजभवन आते रहे हैं और अब "उनका और स्वागत नहीं किया जाएगा।"

खान ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक बयान में कई 'देश-विरोधी गतिविधियों' और 'राज्य-विरोधी गतिविधियों' शब्दों का इस्तेमाल किया, इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री मानते हैं कि राज्य में 'देश विरोधी



अपराध' हो रहे हैं। राज्यपाल ने हाल ही में विजयन द्वारा उन्हें भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए यह बात कही। खान ने कहा, "देश विरोधी अपराध क्या है। यह किस तरह की गतिविधि है। क्या यह अधिक

गंभीर नहीं है? क्या आपको (मुख्यमंत्री) मुझे जानकारी नहीं देनी चाहिए थी? क्या यह आपका कर्तव्य नहीं था? आप अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहे हैं।" उन्होंने कहा कि जब देश के खिलाफ ऐसे अपराध किए जाते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति तथा केंद्र सरकार को सूचित करना पड़ता है और इसके लिए जानकारी होना जरूरी है। खान ने कहा, "इसलिए, मैंने जानकारी मांगने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार भी नहीं किया। उन्होंने 27 दिन बाद इसका जवाब दिया, जब मैंने मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाया। लेकिन, उन्होंने (मुख्यमंत्री) कोई जानकारी नहीं दी।" उन्होंने कहा, "वह (मुख्यमंत्री) राजभवन नहीं आते और वह उन्हें (मुख्य सचिव और डीजीपी) आने की इजाजत नहीं देते क्योंकि कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। इसलिए कुछ तो

गड़बड़ है।" उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव और डीजीपी नियमित रूप से राजभवन आते रहे हैं। खान ने कहा कि मुख्य सचिव विधानसभा सत्र के दौरान अध्यादेश जारी करने भी आए थे। राज्यपाल ने कहा, "मैंने कहा कि ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि विधानसभा सत्र है और इसकी फिर से समीक्षा करनी चाहिए। मुख्य सचिव फिर आए और कहा कि यह ठीक है। इसलिए, मैंने इस पर हस्ताक्षर किए। इसलिए, वे उस समय मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना आते रहे। अब उनका और स्वागत नहीं किया जाएगा।" राज्य में जारी किसी भी कथित देश-विरोधी गतिविधियों के बारे में जानकारी मांगने के लिए खान द्वारा मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किए जाने के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद बढ़ गया है।

कश्मीरी पंडितों को कश्मीर लौटना चाहिए और अपने घरों की देखभाल करनी चाहिए : फारूक अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर, एजेंसी।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कश्मीरी पंडितों की वापसी का आह्वान किया। चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद एनसी और कांग्रेस गठबंधन ने शुक्रवार को पार्टी बनाने का दावा किया। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के सवाल पर कहा कि वह और उनकी पार्टी और वह कश्मीरी पंडितों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें 1990 के दशक की शुरुआत में पलायन के दौरान अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भाई-बहन यहां से चले गए हैं, वे घर वापस आएंगे। अब समय आ गया है, वे अपने घर लौट आए।

अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी की नीति बताते हुए कहा कि हमारी पार्टी हिंदु और मुसलमानों के बीच में भेदभाव नहीं करती। हम सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। हम केवल कश्मीरी



पंडितों के बारे में ही नहीं बल्कि जम्मू के लोगों के बारे में भी सोचते हैं। कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस लौटने का निमंत्रण देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में सभी के लिए जगह है।

हमारी पार्टी कश्मीरी पंडितों की दुश्मन नहीं- फारूक अब्दुल्ला: नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर लौटना चाहिए और अपने घरों की

देखभाल करनी चाहिए और उनका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उनकी वापसी के लिए सभी व्यवस्थाएं और पहल करेगी। अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे लगता है कि उनकी वापसी का समय पहले हो जाना चाहिए था, उन्हें बहुत पहले ही वापस आकर अपने घरों में रहना चाहिए था। हमें उनके दुश्मन नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि जब वह यहां आए तो उन्हें पता चले कि हम

उनके दुश्मन नहीं हैं। हम सभी भारतीय हैं और हम किसी को भी अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं।

हम बनाएंगे सरकार- उमर अब्दुल्ला: एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में बहुमत की सीटें जीतने के बाद शुक्रवार को हमने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हमारी सरकार सभी लोगों के लिए होगी। लोगों ने हमें वोट देकर अपना भरोसा जताया है। अब हमारा काम है कि हम उन्हें बेहतर काम करके दें और उनके भरोसे पर खड़े उतरें।

जम्मू-कश्मीर में पिछले एक दशक के बाद विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन का बहुमत मिला है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा को पिछले चुनाव के मुकाबले कम सीटें मिली हैं।

नायब सिंह सैनी को जान से मारने की धमकी, जींद का रहने वाला आरोपी गिरफ्तार

चंडीगढ़, एजेंसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि राज्य के जींद जिले में जुलाना में व्हाट्सएप ग्रुप पर यह धमकी दी गई थी। आरोपी की पहचान जींद जिले के देवरार निवासी अजमेर के रूप में हुई है। जींद के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि अजमेर ने 8 अक्टूबर को राज्य में मतगणना के दिन व्हाट्सएप ग्रुप पर जान से मारने की धमकी दी थी।

पुलिस अधिकारी ने कहा, जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया प्रारंभिकी दर्ज कर ली गई और अजमेर को गिरफ्तार कर लिया गया। मालू हो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार और ओलंपिक पहलवान विनेश फोगट ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और भाजपा उम्मीदवार योगेश कुमार को हरा दिया। उन्होंने 6,015 मतों के अंतर से हराकर जुलाना विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। हालांकि, नतीजों से पहले कई राजनीतिक जानकारों का मानना था कि फोगट की जीत का अंतर बड़ा हो सकता है। मगर, अंतिम नतीजे में दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। बता दें कि हरियाणा में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकूला में होगा। पार्टी ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के सीनियर नेता और कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 'हमें प्रधानमंत्री की मंजूरी मिल गई है और 17 अक्टूबर को पंचकूला में मुख्यमंत्री व उनके मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह होगा।'